



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम
Regional Office, Western Reg-
E-3/240 अरेरा कालोनी Arera Colon
भोपाल Bhopal-462016 (म.प्र.) M.P.
तार/Telegram: CENTFOREST
दूरभाष/Phone: 566525, 563102
565496, 565054
Tele Fax: 0755-663102

क्रमांक : 8बी/101/2000-एफसीडब्ल्यू/ 604.

दिनांक : 21.3.2001,

प्रति, जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: दतिया जिले में भूतान बैराज के निर्माणार्थ 4.96 हे० वनभूमि की जल संसाधन विभाग द्वारा उपयोगार्थ मांग ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 8बी/101/2000-एफसीडब्ल्यू/1998 दिनांक 26.9.2000.
2. नोडल अधिकारी म०प्र० का पत्रांक 2000/10/सिंचाई/8/39/250 दिनांक 29.1.2001
महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्रांक एफ-5/45/2000/10/3 दिनांक 19.7.2000 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त वन भूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उप वन संरक्षक
संरक्षण एवं वन संरक्षण
म.प्र. भोपाल

उपर्युक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा राज्य सरकार ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से दतिया जिले में भूतान बैराज के निर्माणार्थ 4.96 हे० वनभूमि के वनेतर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर ग्राम रेड़ा, पटवारी हल्का क्रं. 30 के खसरा क्रमांक 1001, 1019, 1020, 1022, 1025, 1043 में 5.02 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस आदेश के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर किया जायेगा ।

सिंचाई

103/3

1104

26/3/2001

3. उक्त वनभूमि को संरक्षित/आरक्षित वनभूमि के रूप में घोषित किया जायेगा।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
5. राज्य सरकार द्वारा लगाई अन्य कोई भी शर्त।

भवदीय,

६.४.१८
(एस०पी० यादव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म०प्र० वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य कामण्डल, दतिया (म०प्र०)।
5. कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग क्र० 6 दतिया (म०प्र०)।
6. आदेश पत्रावली।

२०.३.२००१
(एस०पी० यादव)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)